RAMESHWARI DEVI GIRLS COLLEGE, BHARATPUR

(Raj)

FIELD WORK

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

SESSION- 2021-22

613006

हिन्दू विवाह का बदलता स्वरूप

एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

यह प्रतिवेदन महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की एम.ए. पूर्वार्द्ध (समाजशास्त्र) की परीक्षा 2021–22 के द्वितीय प्रश्न–पत्र हेतु प्रस्तुत है ।

प्राचार्य
डॉ. धीरेन्द्र देवर्षी
रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय
भरतपुर (राज.)

विभागाध्यक्ष
डॉ. लक्ष्मी गुप्ता
रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय
भरतपुर (राज.)

मार्गदर्शक
श्री मानसिंह मीना
रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय
भरतपुर (राज.)

प्रस्तुतकर्त्ता
अनु कुमारी
एम.ए. पूर्वार्द्ध समाजशास्त्र 2021–22
रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय
भरतपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

विषय सूची

1. भूमिका
2. अध्ययन का उद्देश्य
3. अध्ययन का क्षेत्र
4. अध्ययन पद्धति
5. निदर्शन पद्धति
6. लॉटरी प्रणाली
7. तथ्य संकलन
8. साक्षात्कार सूची
9. तथ्यों का वर्गीकरण / सारणीयन
10. तथ्यों का विश्लेषण व मास्टर चार्ट
11. सामान्यीकरण
12. सारणीयन
13. निष्कर्ष
14. अध्ययन मे कठिनाइयां
15. सुझाव
16. संदर्भ पुस्तकें
17. साक्षात्कार अनुसूची

Scanned with CamScanner

भूमिका

1. **भूमिका :** विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो विश्व के प्रत्येक भाग में पायी जाती है। प्रत्येक समाज में चाहे वह आदिम हो अथवा आधुनिक, ग्रामीण हो अथवा नगरीय, विवाह अनिवार्य रूप से पाया जाता है वास्तव में विवाह परिवार की आधार शिला है। विवाह के माध्यम से ही हिन्दु गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, घर बसाते हैं, अपनी यौन-इच्छाओं की पूर्ति, सन्तानोत्पत्ति एवं बालकों का पालन-पोषण करते हैं और उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाते में योग देते हैं। हिन्दू विवाह का भारतीय सामाजिक संस्थाओं में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है यह गृहस्थाश्रम का प्रवेश द्वार है और गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है।

मनु ने कहा है कि जैसे सब प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थाश्रम से ही जीवन प्राप्त करते हैं। विवाह के द्वारा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। हिन्दू विवाह यौन-सम्बन्धों को प्राथमिकता नहीं देकर धार्मिक कार्यों को विशेष महत्व प्रदान करता है। यह व्यक्ति को एक कर्म-प्रधान प्राणी बनाने में योग देता है। हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में हिन्दू जीवन को व्यक्तित्व प्रदान करता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी निश्चित रूप से पति का आदर्श है अतः जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता एवं सन्तान उत्पन्न नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं होता। विवाह के द्वारा सन्तान के माध्यम से व्यक्ति अपने को अमर बनाता है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है - देवता अमृत द्वारा अमर हुए और ब्राह्मणादि मनुष्य पुत्र द्वारा। पुत्र के रूप में पिता का पुनर्जन्म होता है क्योंकि पिता के अंग-अंग और हृदय से प्राप्त अंशों से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव समाज की सत्ता एवं संरक्षण विवाह और परिवार पर आधारित है यही कारण है कि विवाह का हिन्दू समाज में केन्द्रीय संस्था के रूप में महत्व पाया जाता है। हिन्दू विवाह ने जहाँ एक ओर व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, त्यागमय जीवन की प्रेरणा और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के सामाजीकरण में योग दिया है वहीं दूसरी ओर सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है ।

Scanned with CamScanner

वेस्टरमार्क ने लिखा है : ''विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला सम्बन्ध है जिसे प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है तथा जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है।''

लॉवी ने लिखा है : ''विवाह उन स्पष्ट रूप से स्वीकृत संयोगों को व्यक्त करता है जो इन्द्रिय सम्बन्धी सन्तोष के पश्चात भी स्थिर रहते हैं तथा पारिवारिक जीवन की आधारशिला बनते हैं।''

मेधातिथ के अनुसार : ''विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जानेवाली अनेक विधियों से सम्पन्न होने वाला पाणिग्रहण-संस्कार है जिसकी अन्तिम विधि सप्तर्षि-दर्शन है।''

रघुनन्दन के अनुसार : ''जिस विधि से नारी पत्नी बनती है वह विवाह है अत: समाज द्वारा स्वीकृत विधि के द्वारा पति-पत्नि के सम्बन्धों में बँधने को ही विवाह कहा जाता है।''

बोगार्डस के अनुसार : ''विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है ।''

मजूमदार एवं मदान के अनुसार : ''विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो विषम लिंगियों को यौन-क्रिया और उससे सम्बन्धित सामाजिक आर्थिक सम्बन्धों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती हैं।''

डब्ल्यू.एच.आर. रिवर्स के अनुसार : ''जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन सम्बन्धों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है।''

डॉ. कापडिया ने : ''हिन्दू विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है वे लिखते हैं ''हिन्दू विवाह एक संस्कार है'' एक हिन्दू अपने जीवन में विभिन्न संस्कारों को सम्पन्न करता हुआ ही आगे बढ़ता है और अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है प्रत्येक हिन्दू से प्रतिदिन पंच महायज्ञ करते रहने की अपेक्षा की गई है और इन यज्ञों को पति-पत्नी के सहयोग से पूरा करने की बात कही गयी है हिन्दूओं के लिए विवाह एक आवश्यक संस्कार एवं कर्तव्य माना गया है। विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था इस प्रकार हिन्दू विवाह स्त्री-पुरुष का पति-पत्नी के रूप में एक अलौकिक, अविच्छेद एवं शाश्वत मिलन है तथा इस पवित्र बन्धन को तोड़ना अधार्मिक है। हिन्दुओं में एक विवाह को ही आदर्श माना गया है अन्य प्रकार के विवाहों को नहीं।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त परिभाषाऐं विवाह को दो विषम-लिंगियों के बीच पाये जाने वाले यौन-सम्बन्धों को सामाजिक एवं वैधानिक स्वीकृति के रूप में प्रकट करती हैं इन सम्बन्धों के परिणामस्वरूप स्त्री-पुरुषों में पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्यों का उदय होता है। किन्तु हिन्दुओं में विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है आध्यात्मिक प्रयोजनों से ही स्त्री-पुरुष परस्पर स्थायी सम्बन्धों में बँधते हैं अन्य समाजों की भांति हिन्दू विवाह एक सामाजिक या दीवानी समझौता नहीं है। हिन्दुओं की मान्यता है कि विवाह संस्कार के पश्चात ही मानव में नियमों के परिपालन की भावनाऐ जागृत होती हैं। गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग के समान माना गया है। हिन्दुओं में विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, पारिवारिक सुख, सामाजिक एकता, पितृ-ऋण से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति, आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

स्पष्ट है कि विवाह दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। स्त्री-पुरुषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना, सन्तानोपत्ति करना तथा उनका लालन-पालन एवं समाजीकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य हैं। विवाह के परिणामस्वरूप माता-पिता एवं बच्चों के बीच कई अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होता है।

हिन्दू समाज में निरन्तर परिवर्तन होते रहे हैं परविर्तन समाज की प्रवृत्ति है हिन्दु विवाह में भी परिवर्तन होते रहे परन्तु इसकी गति धीमी हो गई है तो कभी तेज। प्राय: हिन्दू विवाह के विषय में लोगों में मत है कि हिन्दू विवाह का अब तक जो स्वरूप था वह अब वैसा बना नहीं रह सकता इसमें वर्तमान युग की नई विचारधारा के अनुसार परिवर्तन होगा। अब स्त्री में समाज जागृति उत्पन्न हो गई है, पुरुषों में भी इन बातों के विषय में चिन्तन प्रारम्भ हो गया है। पाश्चात्य सभ्यता और अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से हिन्दू विवाह में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि हिन्दू विवाह व्यवस्था का विघटन हो रहा है। हिन्दू विवाह में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। यह परिवर्तन पति-पत्नि, परिवार तथा समाज से सम्बन्धित हैं। विवाह के अनेक लक्षण बदल रहे हैं जैसे - विवाह की आयु, उद्देश्य, प्रकार, निषेध, विधि-विधान, रीति-रिवाज, पति-पत्नि के अधिकार आदि।

वर्तमान समय में विवाह कम उम्र मे ही सम्पन्न होते थे लेकिन आज विवाह की आयु में परिवर्तन हो रहा है। लड़कों-लड़कियों का विवाह देरी से सम्पन्न हो रहा है। शिक्षा का प्रसार,

Scanned with CamScanner

विवाह सम्बन्ध, कानून का भय जिसके अन्तर्गत कम उम्र में विवाह पर प्रतिबन्ध है आदि कारण अधिक उम्र में विवाह सम्पन्न किये जाने के प्रति उत्तरदायी हैं।

आज शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। लड़के व लड़कियां दोनों ही कमाना चाहते हैं। इस कारण विवाह के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। इस शिक्षा के प्रभाव के कारण बाल-विवाह व विलम्ब विवाह में परिवर्तन आया है। आधुनिक समय में विवाह के प्रत्येक पक्ष में परिवर्तन आया है यहाँ तक कि आज प्रेम विवाह का उदय हो गया है। आज लड़के-लड़कियां स्वेच्छा से विवाह करने लगे हैं।

प्रेम विवाह में वृद्धि होने के साथ-साथ अन्तर्जातीय तथा अंतधार्मिक विवाह का भी उदय हुआ यद्यपि ऐसे विवाहों की संख्या नगण्य है, तथापि ऐसे विवाह नगरीय समाज के अस्तित्व में आने लगे हैं। हिन्दू विवाह में जाति व्यवस्था के नियमों के अन्तर्गत जो व्यक्ति जिस जाति का है उसी के अन्तर्गत विवाह करेगा सबसे कठोर नियम व प्रतिबन्ध था। आज यह प्रतिबन्ध टूट गया है आज अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिला है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह की सुविधा प्रदान की गई है। परम्परागत समाज में जो अधिकार पुरुष को प्राप्त थे वे सब स्त्री को प्राप्त नहीं थे लेकिन आज स्त्री-पुरुष दोनों समान रूप से कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।

विवाह अब आवश्यक संस्कार नहीं रहा है। आज विवाह की रीति-रिवाज, पद्धतियों व निषेधों में परिवर्तन आ गया है जो कि अच्छा व बुरा दोनों हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

2. **अध्ययन का उद्देश्य :** कुछ सामाजिक एवं धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रत्येक हिन्दू के लिये विवाह अनिवार्य माना गया है। विवाह द्वारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ही व्यक्ति अपनी आत्मोन्ति, देव, ऋषि, पितृ, अतिथि और भूत ऋणों से उऋण और परिवार व समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा सकता है इसी माध्यम से व्यक्ति चार पुरुषार्थों की पूर्ति का प्रयास, धर्म का संचय और अर्थ का उपार्जन करता है । वह यौन इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ सन्तानोत्पत्ति करता है और अन्त में मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता है। एक कर्मयोगी के रूप में जीवन में साधना करता हुआ प्रत्येक हिन्दू अपने कर्तव्यों को निभाता, उत्तरदायित्वों को पूर्ण करता और स्वयं का आत्मकल्याण

Scanned with CamScanner

विवाह सम्बन्ध, कानून का भय जिसके अन्तर्गत कम उम्र में विवाह पर प्रतिबन्ध है आदि कारण अधिक उम्र में विवाह सम्पन्न किये जाने के प्रति उत्तरदायी हैं।

आज शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। लड़के व लड़कियां दोनों ही कमाना चाहते हैं। इस कारण विवाह के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। इस शिक्षा के प्रभाव के कारण बाल-विवाह व विलम्ब विवाह में परिवर्तन आया है। आधुनिक समय में विवाह के प्रत्येक पक्ष में परिवर्तन आया है यहाँ तक कि आज प्रेम विवाह का उदय हो गया है। आज लड़के-लड़कियां स्वेच्छा से विवाह करने लगे हैं।

प्रेम विवाह में वृद्धि होने के साथ-साथ अन्तर्जातीय तथा अंतधार्मिक विवाह का भी उदय हुआ यद्यपि ऐसे विवाहों की संख्या नगण्य है, तथापि ऐसे विवाह नगरीय समाज के अस्तित्व में आने लगे हैं। हिन्दू विवाह में जाति व्यवस्था के नियमों के अन्तर्गत जो व्यक्ति जिस जाति का है उसी के अन्तर्गत विवाह करेगा सबसे कठोर नियम व प्रतिबन्ध था। आज यह प्रतिबन्ध टूट गया है आज अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिला है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह की सुविधा प्रदान की गई है। परम्परागत समाज में जो अधिकार पुरुष को प्राप्त थे वे सब स्त्री को प्राप्त नहीं थे लेकिन आज स्त्री-पुरुष दोनों समान रूप से कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।

विवाह अब आवश्यक संस्कार नहीं रहा है। आज विवाह की रीति-रिवाज, पद्धतियों व निषेधों में परिवर्तन आ गया है जो कि अच्छा व बुरा दोनों हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

2. **अध्ययन का उद्देश्य :** कुछ सामाजिक एवं धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रत्येक हिन्दू के लिये विवाह अनिवार्य माना गया है। विवाह द्वारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ही व्यक्ति अपनी आत्मोन्ति, देव, ऋषि, पितृ, अतिथि और भूत ऋणों से उऋण और परिवार व समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा सकता है इसी माध्यम से व्यक्ति चार पुरुषार्थों की पूर्ति का प्रयास, धर्म का संचय और अर्थ का उपार्जन करता है । वह यौन इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ सन्तानोत्पत्ति करता है और अन्त में मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता है। एक कर्मयोगी के रूप में जीवन में साधना करता हुआ प्रत्येक हिन्दू अपने कर्तव्यों को निभाता, उत्तरदायित्वों को पूर्ण करता और स्वयं का आत्मकल्याण

Scanned with CamScanner

करता है लेकिन वर्तमान में हिन्दू विवाह के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। विवाह समाज की महत्वपूर्ण संस्था है इसमें परिवर्तन आने पर यह समस्या के रूप में समाज में देखने को मिलती है आज इसके स्वरूप में आए परिवर्तन के कारण, प्रभाव व समाज पर उसके प्रभाव व परिवर्तन का अध्ययन किया है। अतः हमारा उद्देश्य समाज पर हिन्दू विवाह के परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना है।

अध्ययन का क्षेत्र

3. **अध्ययन का क्षेत्र :** हमारे अध्ययन का क्षेत्र भरतपुर है जो 26.22° से 27.50° उत्तरी अक्षांश व 76.53° से 76.17° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है 2001 के आँकड़ों के अनुसार भरतपुर शहर की जनसंख्या 2 लाख 5 हजार 124 है। भरतपुर का क्षेत्रफल 5066 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या घनत्व 326 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भरतपुर शहर में कुल 45 वार्ड हैं जिसमें से हमने वार्ड नं. 14 को अपने अध्ययन के लिए चुना है इसमें कुल 300 परिवार हैं इसमें हिन्दू, मुस्लिम व सभी धर्मों के लोग हैं।

हमारे अध्ययन में सभी उत्तरदाता 15 से 60 वर्ष की आयु तक के हैं यहां युवा, वृद्ध व लड़के व लड़कियां सभी जिसमें से हमने अपने अध्ययन के लिए 25 उत्तरदाताओं का चयन किया है।

अध्ययन प्रकृति

4. **अध्ययन प्रकृति :** इसमें सूचना प्राप्त करने के लिए अनुसूची का चयन करते हैं अनुसूची के प्रयोग के पहले उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है जिससे कि सूचना एकत्र होती है इसके अन्तर्गत दो प्रणालियों को एकत्रित किया जाता है।

1. संगणना पद्धति
2. निदर्शन पद्धति

हमने उत्तरदाताओं के चयन के लिए निदर्शन पद्धति का चयन किया है।

Scanned with CamScanner

निदर्शन पद्धति

5. **निदर्शन पद्धति :** अनुसंधान की समस्त इकाइयों के अध्ययन के लिए जब कुछ इकाइयों को ही विश्लेषण एवं निष्कर्ष के लिए चुना जाता है तब हय अध्ययन निदर्श अथवा प्रतिदर्श अध्ययन कहलाता है अर्थात प्रतिदर्श या निदर्श एक विस्तृत क्षेत्र में से चुनी हुई कुछ इकाइयों के समूहों का नाम है और इन इकाइयों के विस्तृत क्षेत्र में से चुने जाने की प्रक्रिया निदर्शन या प्रतिदर्शन कहलाती है। निदर्शन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1915 ई में लन्दन में 'ब्राउले' ने किया तब से लेकर आज तक इस विधि में काफी सुधार किया गया है आज तो यह अनुसंधान का एक आवश्यक चरण बन गया है। निदर्शन का प्रयोग सदैव से ही होता रहा है। दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होता रहता है अर्थात निदर्शन सम्पूर्ण 'समग्र' न होकर उस समग्र का छोटा भाग या केवल कुछ इकाईयां होती हैं जो कि समग्र की आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं।

निदर्शन की परिभाषा :

गुडे व हॉट के अनुसार : ''निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है एक विस्तृत समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है।''

पी.वी. यंग के अनुसार : ''एक सांख्यिकीय निदर्शन सम्पूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है।''

सिनपायो पेंग के अनुसार : ''एक सांख्यिकीय निदर्शन सम्पूर्ण समूह का एक प्रतिनिधि अंश है।''

पार्टेन का कहना है : ''एक विशिष्ट समय में से एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों, मामलों या प्रेक्षणों को छाँटने की प्रक्रिया अथवा विधि अथवा गवेषणा हेतु एक सम्पूर्ण समूह में से एक भाग के चुनाव किए जाने को निदर्शन अथवा प्रतिचयन कहते हैं।''

बोगार्डस के अनुसार : ''निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है।''

सिम्पसन एवं काफका के मतानुसार : ''एक निदर्शन समग्र का वह अंश है जिसका चयन अनुसंधान के उद्देश्य के लिए किया जाता है।''

Scanned with CamScanner

दैव निदर्शन : दैव निदर्शन वह निदर्शन है जिन्हें कि दैव-प्रणाली अथवा संयोग-प्रणाली से चुना जाता है। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त करके सभी को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है क्योंकि इस प्रविधि में सबको समान महत्व का मान लिया जाता है इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता का झुकाव किसी इकाई विशेष के चुनाव की ओर नहीं होता बल्कि चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया मनुष्य के हाथ से निकलकर दैव या संयोग द्वारा होती है। इस विधि में पक्षपात का प्रभाव नहीं होता वरन् इकाइयां अवसर या सम्भावना के आधार पर चुनी जाती हैं। इ विधि से समग्र में से इकाइयाँ इस प्रकार छाँटी जाती हैं कि प्रत्येक इकाई के निदर्श में सम्मिलित होने की बराबर सम्भावना रहती है।

दैव निदर्शन की परिभाषा

गुडे व हॉट के अनुसार : ''दैव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान सम्भावना प्रदान करती है।''

यूल एवं केण्डल के अनुसार : ''जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिति होने का समान अवसर हो, तब समग्र से एक इकाई का चयन दैव निदर्शन है।''

हार्पर के अनुसार : ''एक दैव वह निदर्शन है जिसका चयन इस प्रकार हुआ हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हुआ हो ।''

पोर्टेन के अनुसार : '' दैव निदर्शन विधि का उपयोग उस समय माना जाता है जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई तथा तत्व के चुने जाने का समान अवसर प्राप्त हो।''

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि दैव निदर्शन सावधानी पूर्वक व व्यवस्थित रूप से किया गया कार्य है।

लॉटरी प्रणाली

6 **लॉटरी प्रणाली :** इस विधि के अनुसार समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियां बनाकर उसमें से एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा या स्वयं आँखे बन्द करके उतनी पर्चियाँ उठा ली जाती हैं जितनी इकाइयाँ प्रतिदर्श या निदर्श में सम्मिलित करनी हैं इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी पर्चियाँ या गोलियां बिल्कुल समान बनाई जायें। चयन से पूर्व उन्हें अच्छी तरह से हिलाकर मिला लेना

Scanned with CamScanner

आवश्यक है साथ ही पर्चियाँ निष्पक्ष व्यक्ति से ही निकलवानी चाहियें इस प्रकार जो भी पर्चियाँ इस दैव योग से चुनाव में आ जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है।

तथ्य संकलन

7. **तथ्य संकलन :** हमने अपनी समस्या के अध्ययन के लिए अनुसूची का निर्माण किया। अनुसूची प्रश्नों की लिखित सूची है जो अध्ययन कर्ता द्वारा अध्ययन विषय को ध्यान में रखकर बनाई जाती है उस अनुसूची में हमने घर-घर जाकर उत्तर प्राप्त किये।

गुडे व हॉट ने अपनी 'कृति मैथलान इन सॉशियल रिसर्च' में लिखा है कि अनुसूची प्रश्नों के उस समूह को कहते हैं जो साक्षात्कार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से आमने-सामने की स्थिति में पूछे जाते हैं।

साक्षात्कार अनुसूची

8. **साक्षात्कार अनुसूची :** यह अनुसूची किसी विशेष विषय पर कुछ व्यक्तियों का साक्षात्कार करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अन्तर्गत अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश इस प्रकार किया जाता है कि इससे अध्ययन कर्ता किसी विशेष व्यक्ति का व्यवस्थित रूप से साक्षात्कार करके सूचनाओं का संकलन कर सके। दूसरे शब्दों में साक्षात्कार अनुसूची बहुत से प्रश्नों की एक ऐसी व्यवस्थित तथा वर्गीकृत सूची है जिसके द्वारा अध्ययन कर्ता आवश्यक सूचनाओं का संग्रह करता है।

तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन

9. **तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन :** तथ्यों के संकलन के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य तथ्य को श्रेणीबद्ध करके सामग्री का संक्षिप्त रूप देना है।

वर्गीकरण मुख्य रूप से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संग्रहीत तथ्यों को अपनी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

Scanned with CamScanner

श्री एलहान्स के अनुसार : ''सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूह व वर्गों
व्यवस्थित करने की प्रक्रिया पारिभाषिक दृष्टि से वर्गीकरण कहलाती है।''

श्री कोनोर ने लिखा है कि : ''वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा निकटता के आधा
पर समूहों तथा वर्गों में क्रमबद्ध करने तथा व्यक्तिगत इकाइयों की भिन्नता के बीच पाये जाने वा
गुटों की एकात्मकता को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है।''

इस प्रकार वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संकलित तथ्यों को संक्षिप्त, स्पष्ट व सरलत
बनाने के साथ-साथ उन्हें उनकी समानता व भिन्नताओं के आधार पर कुछ निश्चित समूहों या वर्
में व्यवस्थित करता है।

इस प्रकार जब व्यापक स्तर पर तथ्यों का संकलन हो जाता है तो उनकी तार्किक व्यवस्था के
अनुसार क्रमबद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। अनुसंधान क्रिया इस प्रक्रिया के पश्चात सामग्री को
औरभी स्पष्ट तथा बोधगम्य करने के लिए तथ्यों का सारणीयन किया जाता है।

तथ्यों का विश्लेषण व मास्टर चार्ट

10. **तथ्यों का विश्लेषण व मास्टर चार्ट** : तथ्यों का सारणीयन करने के बाद उनका विश्लेषण
करते हैं तथ्यों के द्वारा कार्य कारण सम्बन्धों का तथा सह सम्बन्धों का पता लगाते हैं जिसके बा
में हम मास्टर चार्ट का निर्माण करते हैं।

सामान्यीकरण

11. **सामान्यीकरण** : हमारी पद्धति का अन्तिम चरण सामान्यीकरण है। प्रत्येक अनुसंधान
हमारा उद्देश्य विभिन्न घटनाओं के बारे में सामान्यीकरण प्राप्त करना होता है। प्राप्त की ग
एकरूपता के आधार पर कतिपय निष्कर्मों का प्रतिपादन किया जाता है तथा इन निष्कर्षों के आध
पर सामान्यीकरण निकल जाते हैं।

Scanned with CamScanner

सारणीयन

12. **सारणीयन :** हमने तथ्यों के आधार पर उनका संकलन कर सारणीयन किया है जो अग्रलिखित है-

1. व्यक्ति परिचय के आधार पर वर्गीकरण / सारणीयन :-

1.1 आयु के अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं की आयु	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
10 - 20	4	16
20 - 30	12	48
30 - 40	6	24
40 - 50	3	12
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाता 20 से 30 आयु के हैं। 10 से 20 आयु के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 16 है। 30 से 40 आयु के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 24 है। 40 - 50 आयु के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 12 है। इस तरह हमारे अध्ययन में सभी तरह के आयु के उत्तरदाता हैं। जिसमें से 20 से 30 आयु के उत्तरदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक 48 प्रतिश है।

1.2 उत्तरदाताओं का धर्म के आधार पर वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं का धर्म	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हिन्दू	25	100
मुस्लिम	0	0
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार 100 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू हैं। हमारे अध्ययन में सभी उत्तरदाता हिन्दू धर्म के हैं। किसी अन्य धर्म के नहीं ।

Scanned with CamScanner

1.3 जाति के आधार पर वर्गीकरण / सारणीयन :-

उत्तरदाताओं की जाति	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
वैश्य	8	32
ब्राह्मण	9	36
सिन्धी	4	16
शूद्र	4	16
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार ब्राह्मण उत्तरदाताओं का प्रतिशत 36 है। वैश्य उत्तरदाताओं का प्रतिशत 32 है। सिन्धी उत्तरदाताओं का प्रतिशत 16 है तथा शूद्र उत्तरदाताओं का प्रतिशत 16 है। हमारे अध्ययन में सभी जातियों के उत्तरदाताओं को लिया गया है जिसमें सर्वाधिक उत्तरदाता ब्राह्मण जाति के हैं।

1.4 लिंग के आधार पर वर्गीकरण / सारणीयन :-

उत्तरदाताओं की जाति	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
स्त्री	21	84
पुरुष	4	16
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाताओं का प्रतिशत स्त्रीलिंग है। स्त्री उत्तरदाता का प्रतिशत 84 है जबकि पुरुष उत्तरदाता का प्रतिशत 16 है। इस प्रकार दोनों ही लिंग के उत्तरदाता हमारे अध्ययन में हैं।

Scanned with CamScanner

1.5 शैक्षिक स्तर पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण / सारणीयन :-

उत्तरदाताओं की शिक्षा	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
प्राथमिक	2	8
उच्च प्राथमिक	2	8
माध्यमिक	7	28
उच्च माध्यमिक	9	36
स्नातक	3	12
स्नातकोत्तर	2	8
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर प्राथमिक स्तर के उत्तरदाता 8 प्रतिशत हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तरदाता 8 प्रतिशत हैं। माध्यमिक स्तर के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 28 है। उच्च माध्यमिक स्तर के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 36 है। स्नातक स्तर के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 12 है। स्नातकोत्तर स्तर के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 8 है। इसमें सर्वाधिक स्तर के उत्तरदाता माध्यमिक स्तर के हैं।

1.6 वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण / सारणीयन :-

उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
विवाहित	17	68
अविवाहित	8	32
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार सर्वाधिक विवाहित उत्तरदाताओं का प्रतिशत है। विवाहित उत्तरदाता का प्रतिशत 68 है जबकि अविवाहित उत्तरदाताओं का प्रतिशत 32 है। इस प्रकार दोनों ही प्रकार के उत्तरदाता हमारे अध्ययन में हैं।

Scanned with CamScanner

1.7 व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण / सारणीयन :-

उत्तरदाताओं का व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
स्व व्यवसाय	10	40
सरकारी नौकरी	15	60
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार स्वयं का व्यवसाय करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 40 है तथा सरकारी नौकरी करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 60 है। इस प्रकार हमारे अध्ययन में दोनों दोनों तरह के उत्तरदाता शामिल हैं।

2. विवाह के स्वरूप में परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण / सारणीयन :-

2.1 उत्तरदाताओं की राय में 'विवाह क्या है' के आधार पर का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
एक अटूट बन्धन/धार्मिक संस्कार	14	56
सामाजिक समझौता	5	20
मैत्री सम्बन्ध	6	24
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाता 56 प्रतिशत हैं जिनका मानना है कि हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। एक अटूट बन्ध है। यह विश्व में सभी विवाहों से उच्चतम स्थान रखता है क्योंकि यहाँ लोग इसे धार्मिक संस्कार के रूप में अनिवार्यत: मानते हैं। 20 प्रतिशत लोग/उत्तरदाताओं का मत है कि हिन्दू विवाह एक अटूट बन्धन न होकर सामाजिक समझौता बन चुका है। जबकि इसके विपरीत 24 प्रतिशत उत्तरदाता इसे सामाजिक समझौता न मानकर एक मैत्री सम्बन्ध मानते हैं।

Scanned with CamScanner

2.2 लड़की की आयु के आधार पर वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
20 वर्ष के	16	24
22 वर्ष के	12	48
18 वर्ष के	7	24
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार सर्वाधिक 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र में होनी चाहिये जो कि गलत है। 48 प्रतिशत लोग/उत्तरदाताओं का मत है लड़की की आयु विवाह के समय 22 वर्ष होनी चाहिये तथा इन सबसे अतिरिक्ति 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि लड़की के विवाह की आयु 20 वर्ष होनी चाहिये क्योंकि इसी उम्र में लड़की सभी प्रकार से परिपक्व व विवाह के योग्य हो पाती है ।

2.3 विवाह के स्वरूप के सहमति के आधार पर वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
बहु पत्नी विवाह	0	0
एक पत्नी विवाह	25	100
दोनों	0	0
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार सर्वाधिक एक पत्नी विवाह के पक्ष में 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं हैं। उनका मानना है कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। विवाह एक ही जीवन साथी के साथ होता है उसकी जगह अन्य कोई नहीं ले सकता है। यह अधिकार एक ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। समाज में बहु पत्नी विवाह का विरोध किया है बहु पत्नी विवाह के पक्ष में उत्तरदाता का मत 0 प्रतिशत है। क्योंकि वे बहु पत्नी प्रथा को गलत मानते हैं, क्योंकि इससे अधिकारों में समानता नहीं रहती।

Scanned with CamScanner

2.4 जीवन साथी का चुनाव किस आधार पर होना चाहिये के रूप में वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
माता-पिता तथा सम्बन्धियों द्वारा	3	12
स्वयं लड़के-लड़की द्वारा	4	16
माता-पिता एवं लड़के-लड़कियों द्वारा	18	72
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वैवाहिक जीवन साथी के चुनाव में माता-पिता व लड़के-लड़कियों द्वारा सहमति होनी चाहिये। क्योंकि विवाह एक अटूट बन्धन है। यह एक ही बार किया जाता है। इसलिए इसमें माता-पिता व लड़के-लड़कियों की रजामंदी आवश्यक है। 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वैवाहिक जीवन साथी का चुनाव स्वयं लड़के-लड़कियों द्वारा करना चाहिये क्योंकि जीवन भर साथ वह रहेंगे। इसी प्रकार 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि जीवन साथी का चुनाव माता-पिता व सम्बन्धियों द्वारा किया जाना चाहिये क्योंकि वह जो करेंगे अच्छा करेंगे लेकिन यह गलत है क्योंकि इससे लड़के-लड़कियों पर प्रभाव पड़ता है अत: इसमें लड़के-लड़कियों की स्वीकृति भी होनी चाहिये।

2.5 विवाह के बाद महिलाओं के नौकरी करने के आधार पर वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हाँ	20	80
नहीं	5	20
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार 80 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता हैं जिनका मत है कि विवाह के बाद महिलाओं को भी पुरुषों के समान घर से बाहर निकलकर नौकरी करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि औरतों को घर में रहकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालना चाहिये क्योंकि इससे महिलाएं अपने घर-

Scanned with CamScanner

परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व भूल जाती हैं और पति-पत्नी के बीच तनाव बना रहता है।

2.6 अन्तर्जातीय विवाह की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
माता-पिता की स्वीकृति मिलने पर	20	80
माता-पिता की स्वीकृति न मिलने पर	5	20
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी में 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वह अन्तर्जातीय विवाह को माता-पिता की स्वीकृति मिलने पर ही स्वीकारते हैं। हिन्दू विवाह के अनुसार माता-पिता की स्वीकृति मिलने पर ही विवाह को मान्यता मिलती है तथा समाज में भी वही विवाह लम्बे समय तक बने रहते हैं, जो माता-पिता की स्वीकृति से होते हैं तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि अन्तर्जातीय विवाह के लिए माता-पिता की स्वीकृति आवश्यक नहीं है जबकि यह गलत है क्योंकि किसी भी विवाह के लिए माता-पिता की स्वीकृति होना आवश्यक है।

2.7 अन्तर्जातीय विवाह का कारण के आधार पर वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
सही जीवन साथी	6	24
अच्छा परिवार	6	24
संस्कृतिकरण	4	16
सभी	9	36
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार 24 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय विवाह को महत्व इसलिए देते हैं ताकि सही जीवन साथी का चुनाव कर सकें। इसके साथ पुन: 24 प्रतिशत इस विवाह का चुनाव अच्छे परिवार चुनाव के लिए करते हैं। 16 प्रतिशत लोग संस्कृतिकरण के लिए अन्तर्जातीय विवाह का चुनाव करते हैं इन सभी के अतिरिक्त 36 प्रतिशत लोग तीनों के लिए अन्तर्जातीय विवाह का चुनाव करते हैं ताकि अपनी स्थिति को तीन पहलुओं में ठीक कर सकें।

Scanned with CamScanner

2.8 स्त्रीयों को वैवाहिक सम्बन्धों में पुरुष के समान अधिकार के आधार पर वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हाँ	20	80
नहीं	5	20
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाताओं का प्रतिशत 80 है। जिनका मानना है कि विवाह के जितने भी अधिकार हैं उनमें स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहियें जबकि इसके विपरीत 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि स्त्रियों को वैवाहिक स्थिति में पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलने चाहियें क्योंकि जितने भी संस्कार हैं वो पुरुषों द्वारा ही सम्पन्न किया जाना चाहिये। यह धारणा बिल्कुल गलत है।

2.9 अन्तर्जातीय विवाह किस जाति में हो के आधार पर वर्गीकरण / सारणीयन :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
समान जाति में	7	28
उच्च जाति में	4	16
अस्पृश्य जाति के अतिरेक	5	20
किसी भी जाति में	9	36
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार जब उत्तरदाताओं से जाना गया कि वे किस प्रकार की जाति के अन्दर विवाह करने के पक्ष में हैं तो उनमें से 28 प्रतिशत उत्तरदाता समान जाति में विवाह करने के पक्ष में हैं। 16 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी से उच्च जाति में विवाह करने के पक्ष में हैं। 20 प्रतिशत अस्पृश्य जातियों को छोड़कर किसी भी जाति में विवाह करने के लिए तैयार हैं और सबसे अधिक 36 प्रतिशत सभी प्रकार की जाति में विवाह करने को तैयार हैं।

Scanned with CamScanner

3. हिन्दू विवाह के नियमों में परिवर्तन के संदर्भ में सूचना दाताओं का वर्गीकरण :-

3.1 उत्तरदाताओं का बाल विवाह के आधार पर का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हाँ	5	20
नहीं	20	80
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार 80 प्रतिशत उत्तरदाता बाल विवाह के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि लड़के-लड़कियों का विवाह पूरी तरह से परिपक्व होने तथा सही उम्र (20-22) में ही होना चाहिये जबकि 20 प्रतिशत लोग मानते हैं कि विवाह यदि कम उम्र में ही कर दिया जाये तो अच्छा है ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें तथा माता-पिता भी ऋण मुक्त हो जायें।

3.2 उत्तरदाताओं का विवाह - विच्छेद के आधार पर का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हाँ	10	40
नहीं	15	60
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाता 40 प्रतिशत हैं, जिनका मत है कि तलाक में कोई बुरी बात नहीं है। जरूरत पड़ने पर तलाक करना गलत नहीं है। लेकिन 60 प्रतिशत उत्तरदाता तलाक को गलत मानते हैं। उनका मानना है कि विवाह एक अटूट बन्धन है। यह सामाजिक समझौता नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को तलाक नहीं देना चाहिये। इस प्रकार 40 प्रतिशत लोग तलाक को उचित मानते हैं और 60 प्रतिशत अनुचित।

Scanned with CamScanner

3.3 उत्तरदाताओं का प्रेम विवाह के आधार पर का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हाँ	18	72
नहीं	7	28
योग	25.	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार प्रेम-विवाह के पक्ष में 72 प्रतिशत उत्तरदाता तथा प्रेम-विवाह के विरोध में 28 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। इस प्रकार सर्वाधिक उत्तरदाता प्रेम विवाह के पक्ष में हैं। आज इनका मानना है कि इन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। प्रेम विवाह कोई बुरी बात नहीं है। उन्हें अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार है लेकिन 28 प्रतिशत लोगों का मानना है कि प्रेम-विवाह अनुचित है। यह समाज के विपरीत है। यह समाज के लिए एक अभिशाप है।

3.4 उत्तरदाताओं का बेमेल विवाह के आधार पर का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हाँ	0	0
नहीं	25	100
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार यह पता चलता है कि बैमेल विवाह के पक्ष 0 प्रतिशत है। तथा 100 प्रतिशत इसका विरोध करते हैं। अत: आज इस विवाह को समाज में उचित नहीं माना जाता है। आज बेमेल विवाह का विरोध किया जाता है। यह समाज में नगण्य है।

Scanned with CamScanner

3.5 विलम्ब विवाह के आधार पर का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हाँ	17	68
नहीं	8	32
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार 68 प्रतिशत उत्तरदाता विलम्ब विवाह के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि यदि विवाह बिलम्ब से किया जाये तो वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अपना जीवन तथा कैरियर अच्छे से बना सकते हैं। जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि विवाह उम्र के सही पड़ाव पर ही होना चाहिये ताकि वैवाहिक बंधन में बंधकर पारिवारिक जिम्मेदारी संभाल सकें।

3.6 उत्तरदाताओं का विधवा पुर्नविवाह विवाह के आधार पर का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हाँ	20	80
नहीं	5	20
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार विधवा पुर्नविवाह में 20 प्रतिशत उत्तरदाता हैं जिनका कहना है कि विधवा पुर्नविवाह अनुचित है। यहां सर्वाधिक उत्तरदाता विधवा - पुर्नविवाह के पक्ष में हैं क्योंकि नारी अकेले जीवन नहीं व्यतीत कर सकती है। उसे भी किसी के साथ की जरूरत होती है। वह परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने को स्वतंत्र है। साथ ही यहां कुछ लोग विधवा-पुर्नविवाह को गलत मानते हैं। लेकिन 80 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा-पुर्नविवाह के पक्ष में हैं और 20 प्रतिशत इसके पक्ष में नहीं हैं।

Scanned with CamScanner

4. विवाह के स्वरूप में परिवर्तन का समाज पर प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण :-

4.1 आधुनिक शिक्षित स्त्रियों की स्थिति के आधार पर का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हाँ	25	80
नहीं	0	20
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार यह स्पष्ट है कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत अधिक है, जिनका कहना है कि आधुनिक शिक्षा का स्त्रियों की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। आज स्त्रियों को भी शिक्षा के माध्यम से ही पुरुषों समान सभी अधिकार प्राप्त हैं तथा वे भी हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक व राजनीति आदि में नौकरी करती हैं। आज स्त्रियां घर की चार दीवारी में ही नहीं रहती हैं बल्कि वह भी अपने पैरों पर खड़े रहकर पुरुषों के समान ही कार्य करती हैं। तथा आज स्त्रियां पुरुषों के अधीन नहीं हैं।

4.2 आधुनिक विवाह के स्वरूप से सती-प्रथा व दहेज प्रथा के अन्त के आधार पर का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हाँ	18	72
नहीं	7	28
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि आज सती-प्रथा और दहेज-प्रथा का अन्त हुआ है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी कई समाजों में दहेज प्रथा को अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन यह सत्य है कि आज सती प्रथा का अन्त हो चुका है। 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सती-प्रथा का अन्त तो हुआ है लेकिन दहेज प्रथा मुँह फैलाये बढ़ती ही जा रही है । आज हर घर में दहेज की मांग की जाती है चाहे वह अमीर घर हो या गरीब घर।

Scanned with CamScanner

4.3 आधुनिक शिक्षा से विवाह के स्वरूप में परिवर्तन के आधार पर का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
हाँ	21	84
नहीं	4	16
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाता 84 प्रतिशत है जिनका मत है कि आज विवाह के स्वरूप में परिवर्तन आया है। पूर्व में जिसे धार्मिक संस्कार माना जाता था, आज केवल एक सामाजिक समझौते के रूप में देखा जाता है। जिसे जब चाहे तब तोड़ा जा सकता है। इस विवाह को सभी समाजों में देखा जाता है। लेकिन 16 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि विवाह के स्वरूप में आधुनिक शिक्षा का प्रभाव अवश्य पड़ा है लेकिन इसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं आया है। आज भी विवाह को धार्मिक संस्कार के रूप में ही देखा जाता है। आज भी विवाह करने पर सभी धार्मिक क्रिया कलाप किये जाते हैं।

4.4 आधुनिक विवाह में परिवर्तन में उत्तरदायी कारक के आधार पर का वर्गीकरण :-

उत्तरदाताओं के जबाव	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
विज्ञान प्रसार	0	0
पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति	2	8
शिक्षा का प्रसार	15	60
उपरोक्त सभी	8	32
योग	25	100

उपर्युक्त सारणी के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाता 60 प्रतिशत हैं जिनका कहना है कि आधुनिक विवाह में परिवर्तन के लिए आधुनिक शिक्षा ही सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक है। इससे विवाह का स्वरूप बदल गया है। आधुनिक शिक्षा से लोगों में जागरूकता आई है। आज लड़कों को ही नहीं वरन् लड़कियों को भी पढ़ाया-लिखाया जाता है। उनकी विवाह के लिए आयु निश्चित

Scanned with CamScanner

कर दी है। लड़कों की आयु 21 तथा लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी है। जो व्यक्ति इनका उल्लंघन करेगा उसे समाज द्वारा दण्डित किया जायेगा तथा इन निषेधों के प्रति आज प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो गया है 8 प्रतिशत लोगों का कहना है कि आज आधुनिक विवाह में परिवर्तन पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के फलस्वरूप हुआ है जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो आधुनिक विवाह में परिवर्तन में उत्तरदायी कारक विज्ञान-प्रसार, पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति, आधुनिक शिक्षा सभी को मानते हैं। इन सभी कारकों ने अपने-अपने योगदान के द्वारा ही विवाह के स्वरूप में परिवर्तन लाया है। आज विवाह के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है जिससे प्रेम विवाह तथा तलाक आदि को बढ़ावा मिला है।

निष्कर्ष

13. **निष्कर्ष :** हमने अपने अध्ययन के लिए 25 उत्तरदाताओं का चयन किया, जिसमें 15 से 50 वर्ष तक सम्मिलित हैं। साथ ही सभी जातियों के उत्तरदाता शामिल हैं। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जो विश्व के प्रत्येक भाग में पाई जाती है। हिन्दू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है जबकि अन्य समाजों में विवाह एक सामाजिक समझौता माना जाता है। इसलिए हिन्दू विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन वर्तमान में बदलते परिवेश में हिन्दू विवाह का स्वरूप भी बदल गया है। जिसके कुछ परिवर्तन अच्छे हैं और समाज पर जिसका अच्छा प्रभाव है। वहीं कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो विवाह को एक धार्मिक संस्कार न मानकर समझौते के रूप में स्वीकार कर रहा है।

प्राचीन परम्परा में विवाह अपनी ही जाति में होता था। विवाह का अर्थ दो परिवारों के बीच सम्बन्ध माना जाता था। किन्तु शिक्षा के प्रभाव ने व्यक्ति को प्रगतिवादी बना दिया है, आज का युवा पढ़-लिख कर जीविकोपार्जन करने लग जाता है तभी वह विवाह करता है, आज 72 प्रतिशत लोग विलम्ब विवाह के पक्ष में हैं। आज वह विवाह जीवन साथी का चुनाव स्वयं की सहमति से ही करता है। प्राचीन मान्यताऐं अब समाप्त हो गई हैं। अब अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य नहीं है। बाल विवाह, अन्तर्विवाह, बर्हिविवाह, कुलीन विवाह व बहु-विवाह आदि की मान्यताऐं समाप्त हो चुकी हैं। आज कोई भी इस प्रकार के विवाहों के पक्ष में नहीं है।

Scanned with CamScanner

कर दी है। लड़कों की आयु 21 तथा लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी है। जो व्यक्ति इनका उल्लंघन करेगा उसे समाज द्वारा दण्डित किया जायेगा तथा इन निषेधों के प्रति आज प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो गया है 8 प्रतिशत लोगों का कहना है कि आज आधुनिक विवाह में परिवर्तन पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के फलस्वरूप हुआ है जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो आधुनिक विवाह में परिवर्तन में उत्तरदायी कारक विज्ञान-प्रसार, पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति, आधुनिक शिक्षा सभी को मानते हैं। इन सभी कारकों ने अपने-अपने योगदान के द्वारा ही विवाह के स्वरूप में परिवर्तन लाया है। आज विवाह के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है जिससे प्रेम विवाह तथा तलाक आदि को बढ़ावा मिला है।

निष्कर्ष

13. **निष्कर्ष :** हमने अपने अध्ययन के लिए 25 उत्तरदाताओं का चयन किया, जिसमें 15 से 50 वर्ष तक सम्मिलित हैं। साथ ही सभी जातियों के उत्तरदाता शामिल हैं। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जो विश्व के प्रत्येक भाग में पाई जाती है। हिन्दू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है जबकि अन्य समाजों में विवाह एक सामाजिक समझौता माना जाता है। इसलिए हिन्दू विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन वर्तमान में बदलते परिवेश में हिन्दू विवाह का स्वरूप भी बदल गया है। जिसके कुछ परिवर्तन अच्छे हैं और समाज पर जिसका अच्छा प्रभाव है। वहीं कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो विवाह को एक धार्मिक संस्कार न मानकर समझौते के रूप में स्वीकार कर रहा है।

प्राचीन परम्परा में विवाह अपनी ही जाति में होता था। विवाह का अर्थ दो परिवारों के बीच सम्बन्ध माना जाता था। किन्तु शिक्षा के प्रभाव ने व्यक्ति को प्रगतिवादी बना दिया है, आज का युवा पढ़-लिख कर जीविकोपार्जन करने लग जाता है तभी वह विवाह करता है, आज 72 प्रतिशत लोग विलम्ब विवाह के पक्ष में हैं। आज वह विवाह जीवन साथी का चुनाव स्वयं की सहमति से ही करता है। प्राचीन मान्यताऐं अब समाप्त हो गई हैं। अब अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य नहीं है। बाल विवाह, अन्तर्विवाह, बर्हिविवाह, कुलीन विवाह व बहु-विवाह आदि की मान्यताऐं समाप्त हो चुकी हैं। आज कोई भी इस प्रकार के विवाहों के पक्ष में नहीं है।

Scanned with CamScanner

विवाह में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिससे विवाह के स्वरूप में अन्तर आया है जैसे:- बाल विवाह कम हुए हैं, विधवा-पुनर्विवाह को बढ़ावा मिला है। आज 84 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिल चुकी है। विलम्ब-विवाह, अन्तर्जातीय-विवाह, तथा प्रेम-विवाह व कोर्ट में जाकर विवाह होने लगे हैं।

आज प्रेम विवाह के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। पहले समाज में प्रेम-विवाह उचित नहीं माना जाता था। इसका विरोध किया जाता था। लेकिन आज 25 में से 20 लोगों का मत है कि प्रेम-विवाह में कोई बुराई नहीं है लेकिन 5 लोगों का मानना है कि इस प्रकार का विवाह अनुचित है।

आज विवाह धार्मिक संस्कार न होकर एक सामाजिक समझौता हो गया है। पत्नी भी अब पति को सह सहयोगी मित्र ही समझती है। ''कन्यादान'' के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है, तलाक का प्रचलन भी बढ़ा है।

इन सभी कारकों ने अपने-अपने योगदान द्वारा ही विवाह के स्वरूप में काफी परिवर्तन लाया है। आज शिक्षा के प्रभाव के कारण लोगों में जागरूकता आई है तथा प्रेम-विवाह, विलम्ब विवाह और विवाह विच्छेद को बढ़ावा मिला है तथा साथ ही बहु-विवाह, बेमेल विवाह का अन्त हुआ है।

अध्ययन में कठिनाईयां

14. **अध्ययन में कठिनाईयां :** जब हमने अपने अध्ययन विषय का अध्ययन किया तो इसके लिए हमें काफी परेशानी उठानी पड़ी व साथ ही इसे (अनुसूची) को भरवाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। जब उत्तरदाता से अनुसूची भरवाने गये तब उन्होंने अनुसूची भरने से इन्कार कर दिया और कहने लगे कि उनके पास फालतू समय नहीं है तो किसी ने कहा उसे भवाने से उन्हें कहीं परेशानी न उठानी पड़े। इसलिए उन्होंने अनुसूची भरने से इनकार कर दिया।

मेरे काफी प्रयास करने पर ही मैं अनुसूची को भरवाने में सफल हुई। मैंने उन्हें काफी समझाया और कहा कि उन्हें इसे अनुसूची को भरने से किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा व कानूनी कार्यवाही भी नहीं होगी। पूरी तरह तसल्ली देने के बाद मैंने उन्हें समझाया कि यह अनुसूची हमारे विषय समाजशास्त्र एम.ए. पूर्वार्द्ध के लिए भरवाई जा रही है तथा उनके

Scanned with CamScanner

अनुसूची भरने से वे हमें एम.ए. पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण करा सकते हैं। तब बहुत समझाने पर कि उनहें अनुसूची भरने से कोई नुकसान नहीं होगा तब उत्तरदाता अनुसूची भरने को तैयार हो गये। इस तरह कई परेशानियों के बाद हम अनुसूची भरवाने व अपने अध्ययन को पूर्ण करने में सफल हो सके।

सुझाव

15. सुझाव : हिन्दू विवाह के स्वरूप में परिवर्तन का अध्ययन करने पर हमने पाया कि आज हिन्दू विवाह धार्मिक संस्कार न होकर सामाजिक समझौता माना जाता है। आज हिन्दू विवाह के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन का हमारे समाज व संस्कृति पर अच्छा व बुरा दोनों ही प्रभाव पड़ने के साथ-साथ ही यह परिवर्तन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हुए हैं जिसका समाज व संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हम अपने अध्ययन विषय के दौरान ऐसे सुझाव देंगे जो हमारी संस्कृति के अनुकूल हों तथा जो इस अध्ययन के दौरान हमने अनुभव किये हैं। आज विवाह में दहेज प्रथा का अन्त करना अति आवश्यक है क्योंकि आज दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या व अभिशाप है क्योंकि दहेज प्रथा में काफी समस्याऐं स्त्रियों को उठानी पड़ती हैं। विवाह में लड़कों को पूरा धन मिलने पर ही विवाह को निभाते हैं अन्यथा वह इस विवाह को तोड़ देते हैं। अतः आज आवश्यक है कि दहेज प्रथा जैसे अभिशाप का अन्त हो तथा साथ ही बेमेल विवाह, तलाक, बहु विवाह आदि का भी अन्त हो। इसलिए लोगों को शिक्षित करना चाहिये तथा उन्हें अपने उत्तरदायित्व व समाज संस्कृति के प्रति जागरूक करना चाहिये।

16. संदर्भ पुस्तकें :-

1. डी. डी. शर्मा - भारतीय सामाजिक व्यवस्था
2. एम. एल. गुप्ता - सामाजिक मानवशास्त्र
3. मोती लाल गुप्ता - भारत में समाज

Scanned with CamScanner